रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 1997/चैत्र 20, 1919

No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 1997/CHAITRA 20, 1919

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1997

सा० का० नि० 207 (अ).—केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में,—

(1) नियम 2 में,—

(क) खंड (9) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(9) ''फीचर फिल्म'' से 35 मि०मी० में या अन्य गेजों में या वीडियो टेप या संहत वीडियों डिस्क पर काल्पनिक कथा फिल्म अभिप्रेत है;'

(ख) खंड (11) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(11) ''लम्बी फिल्म'' ऐसी फिल्म है जो 35 मि०मी० में 2000 मीटर लम्बाई से अधिक या अन्य गेजों में तत्समान लम्बाई की है या वीडियो टेप या संहत वीडियो डिस्क पर है;'

(ग) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(16) ''लघु फिल्म'' से ऐसी फिल्म अभिप्रेत है जो 35 मि०मी० में 2000 मीटर लम्बाई तक जिसमें 2000 मीटर भी सम्मिलित है या अन्य गेजों में तत्समान लम्बाई की है या वीडियो टेप या संहत वीडियो डिस्क पर है;'

(2) उक्त नियम और उसकी अनुसूची में, ''वीडियो फिल्म'' शब्द, जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर ''वीडियो टेप या संहत वीडियो डिस्क पर फिल्म'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 802/2/97-एफ (सी)]

रघु मेनन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II खंड (i) में दिनांक 9-5-83 के सा० का० नि० सं० 381 (अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और इसको बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया था :

(1) सा० का० नि० 83 (अ) दिनांक 28-2-84,

(2) सा० का० नि० 413 (अ) दिनांक 29-5-84,

(3) सा० का० नि० 814 (अ) दिनांक 13-12-84,

(4) सा० का० नि० 772 (अ) दिनांक 21-10-89,

(5) सा० का० नि० 702 (अ) दिनांक 27-11-91,

(6) सा० का० नि० 67 (अ) दिनांक 30-1-92,

(7) सा० का० नि० 603 (अ) दिनांक 3-8-94,

(8) सा० का० नि० 816 (अ) दिनांक 16-11-94,

(9) सा० का० नि० 817 (अ) दिनांक 16-11-94,

(10) सा० का० नि० 121 (अ) दिनांक 11-3-95,

(11) सा० का० नि० 370 (अ) दिनांक 28-4-95,

(12) सा० का० नि० 705 (अ) दिनांक 30-10-95,

(13) सा० का० नि० 798 (अ) दिनांक 15-12-95,

(14) सा० का० नि० 134 (अ) दिनांक 18-3-96,

(15) सा० का० नि० 173 (अ) दिनांक 25-3-97

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April 1997

G. S. R. 207 (E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Certification) (Second Amendment) Rules, 1997.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (1) In the Cinematograph (Certification) Rules, 1983,—
   in rule 2,—

   (a) for clause (ix), the following clause shall be substituted, namely :—

   '(ix) "feature film" means fictionalised story film in 35 mm or in other gauges or on video tape or compact video disc;'

(b) for clause (xi), the following clause shall be substituted, namely:—

'(xi) "long film" is a film with a length exceeding 2000 metres in a 35 mm or corresponding length in other gauges or compact video disc;'

(c) for clause (xvi), the follwing shall be substitututed, namely,

'(xvi) "short film" means a film with a length upto and including 2000 metres in length in 35 mm or corresponding length in other gauges or on video tape or compact video disc.'

(2) In the said rules and schedules thereto, for the words "Video film" wherever they occur, the words "film on video tape or compact video disc" shall be substituted.

[File No. 802/2/97-F(C)]

RAGHU MENON, Jt. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published, **vide** No. GSR 381 (E) dated 9-5-83 in the Extraordinary Gazette of India Part II Section (i) and subsequently amended by :

(i) GSR 83 (E) dated 28-2-84;

(ii) GSR 413 (E) dated 29-5-84;

(iii) GSR 814 (E) dated 13-12-84;

(iv) GSR 772 dated 21-10-89;

(v) GSR 702 (E) dated 27-11-91;

(vi) GSR 67 (E) dated 30-1-92;

(vii) GSR 603 (E) dated 3-8-94;

(viii) GSR 816(E) dated 16-11-94;

(ix) GSR 817 (E) dated 16-11-94;

(x) GSR 121 dated 11-3-95;

(xi) GSR 370 (E) dated 28-4-95;

(xii) GSR 705 (E) dated 30-10-95;

(xiii) GSR 798 (E) dated 15-12-95;

(xiv) GSR 134 (E) dated 18-3-96;

(xv) GSR 173 (E) dated 25-3-97;

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997